ई0 पत्रावली संख्या–80397/2023

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2025**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) नहर निर्माण मद के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5829/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/पी–27 (टी0एस0पी0), दिनांक 16.09.2025 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) नहर निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के ग्राम मंगटाड एवं खरोडा के अन्तर्गत रवाण सांगणा नहर पर आफसूट निर्माण की योजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 23.26 लाख (रूपये तेइस लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में इतनी ही धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व राज्य सेक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना (SCSP/TSP) के अन्तर्गत योजनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में 19 बिन्दुओं की जारी चैकलिस्ट का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ii) योजना का कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व उक्त प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(iii) योजना का निर्माण कार्य के उपरांत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी परिवारों का विवरण एवं निर्माण कार्य अनुसूचित जनजाति के बसत एवं परिवारों के लिये ही गया है, के संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाय।

(iv) योजनाओं हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(v) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय की कार्यवाही की जाय तथा साथ ही विभागध्यक्ष/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्लॉन, स्ट्रक्चर डिजायन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लॉन, डिजायन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या कान्ट्रेक्टर के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(vii) मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही प्रयोग किया जाय तथा होने वाली बचतों को राजकोष में जमा किया जाय।

(viii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ix) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

(x) योजना से मात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही लाभान्वित होंगे। योजना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व यह भलीभांति जांच कर ली जाय कि क्या पूर्व में उक्त लाभार्थियों को लाभान्वित तो नहीं किया गया है।

(xi) उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 का पालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाय।

(xii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(xiii) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

(xiv) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(xv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(xvi) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xvii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(xviii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(xix) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उक्त स्थल की Geo Tagging तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य का Third Party Audit कराया जाय।

(xx) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(xxi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(xxii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 तक करना सुनिश्चित किया जाये, यदि उक्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 तक किया जाना सम्भव न हो तो उक्त धनराशि को नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय तथा कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(xxiii) जो आगणन शासन को उपलब्ध कराये गये हैं, उन कार्यों को उसी दरों पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये तथा उक्त कार्यों के आगणनों को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि उक्त दरों पर गठित आगणनों पर कार्य कराया जाना सम्भव न हो तो कार्य प्रारम्भ न कराया जाय।

(xxiv) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xxv) योजना से अनुसूचित जनजाति के घर/कृषि भूमि को लाभान्वित किया जायेगा तथा लाभान्वित होने वाले लाभार्थी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की प्रति प्राप्त कर समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ एवं शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(xxvi) योजना की तकनीकि स्वीकृति प्रदान करते समय योजना के निर्माण में यथासम्भव पाईप का उपयोग भी किया जाय।

(xxvii) मुख्य नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता तथा आफसूट का निर्माण ग्राम मंगटाड एवं खरोडा के कृषकों हेतु ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–नलकूप नहर एवं लिफ्ट नहर निर्माण/पुनरोद्धार–001–02–सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य–00–53 वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–।/345918/2025, दिनांक 19 नवम्बर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
YUGAL KISHORE PANT
Date: 21-11-2025
11:45:28

(युगल किशोर पन्त)
सचिव।

<u>ई0 पत्रावली संख्या–80397/2023, तददिनांकित</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Jai Lal Sharma
Date: 23-11-2025
10:35:32

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।